न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ (राज.)

. पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 82/2018 ई.रे.

1. छगनलाल पिता भागचंद नाई नि. पीण्ड तहसील बडीसादडी
2. अम्बालाल पिता भागचंद नाई नि. पीण्ड तहसील बडीसादडी

– वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता ताराचंद नाई नि. पीण्ड तहसील बडीसादडी
2. रमेश पिता भैरूलाल नाई नि. पीण्ड तहसील बडीसादडी
3. मुकेश पिता भैरूलाल नाई नि. पीण्ड तहसील बडीसादडी
4. पुष्पा पत्नी भैरूलाल नाई नि. पीण्ड तहसील बडीसादडी
5. भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि.
वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्री गजेन्द्र सिंह झाला अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

// निर्णय // दिनांक :– 21/08/2023

वादी की ओर सें प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 के कब्जे काश्त व प्रतिवादीगण के खातेदारी की आराजीयात मौजा पिण्ड में स्थित होकर आराजी का विवरण इस प्रकार है। खाता संख्या 327 की आराजी नं. 919 रकबा 0.57 हैक्ट. लगानी 14रू 82 पैसा आराजी नं. 921 रकबा 0.09 हैक्ट. लगानी 1 रू 71 पैसा है।
यह कि उक्त आराजीयात के पुराने नम्बर आराजी नम्बर 779 रकबा 2 बिघा 5 बिस्वा व आराजी नम्बर 781 रकबा 07 बिस्वा होकर वर्तमान मे सेटलमेंट के बाद उक्त परिवर्तित होकर नये नम्बर आराजी नम्बर 779 के बजाय 919 व आराजी नम्बर 781 के बजाय 921 पडे है। ताईद में नकल खसरा संलग्न है। यह कि उक्त आराजीयात में प्रतिवादी देवीलाल का 1/3 हक उसकी माता फुलीबाई का 1/3 हक व भैरूलाल का 1/3 हक हिस्सा होकर इसी अनुसार खातेदारी मे दर्ज था तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज थे। यह कि प्रतिवादी देवीलाल व उसकी माता फुलीबाई को रूप्यो की जायज जरूरत होने से उन्होंने अपने हक हिस्से की आराजीयात आराजी नम्बर 779 रकबा 2 बिघा 5 बिस्वा व आराजी नम्बर 781 रकबा 07 में देवीलाल ने अपने हक हिस्खे की 1/3 सम्पूर्ण हिस्सा तथा फुलीबाई ने 1/3 का 1/2 यानी 1/6 हक हिस्सा वादीगण को बिल एवज 120000 एक लाख बीस हजार रूप्ये में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.09.05 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय कर विक्रय राशी प्राप्त कर ली तथा उक्त आराजीयात का विधिवत पंजीयन दिनांक 27.06.2006 को करवा दिया तब से उक्त आराजीयात आराजी नम्बर 779, 781 जिसके वर्तमान में नम्बर 919 व 921 दर्ज है के देवीलाल के 1/3 हक हिस्से व फुलीबाई के 1/6 हक हिस्से पर वादीगण काबिज होकर उक्त आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। वादीगण के आराजी के पडोसियो से रकबे की कमी पेशी को लेकर विवाद होने से खाते की नकल निकलवाई तो उक्त आराजीयात जो वादीगण की खरीदशुदा है उक्त आराजी उनके नाम नहीं थी तथा प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज रिकोर्ड थी तब खाते की नकल निकलवाकर उक्त वाद पेश हुआ है। वादी उक्त आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से स्वामी होकर आराजी का उपयोग उपभोग कर रहा है। तथा वादी उक्त आराजीयात को अपने खातेदारी की घोषित कराने का अधिकारी है तथा विक्रय पत्र अनुसार आराजी नम्बर 919 व 921 में देवीलाल का नाम राजस्व अभिलेख से हटाकर उसके 1/3 हक हिस्से पर वादीगण का नाम व फुलीबाई के बजाय 1/6 हक हिस्से तक वादीगण का नाम राजस्व दर्ज घोषित कराये जाने का वादी अधिकारी है।

बाद जाँच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड ई. रे. किया जाकर प्रतिवादीगण की नियमानुसार जरिए नोटीस तलब किया गया प्रतिवादीगण बाद तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकियात कायम नही कर सिधे ही साक्ष्य वादी ली गयी तथा साक्ष्य वादी में गवाह रतनलाल, उदयलाल, अम्बालाल तथा वादी छगनलाल के बयान शपथ पत्र पर लेखबद्ध कर प्रस्तूत किये गये दस्तावेज़ी साक्ष्य में जमाबन्दी व अन्य दस्तावेज प्रदर्श कराये गये और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी समाप्त की गयी। वाद पत्र अनुसार खातेदार फुलीबाई की मृत्यु दिनांक 5.9.2017 को हो जाने से पक्षकार नहीं बनाया गया है।

बहस एक तरफा वादी सुनी गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी व विक्रय पत्र से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 27.6.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 से व उनकी माता फुलीबाई से आराजी नं. 919 व 921 में छगनलाल पिता भागचंद व अम्बालाल पिता भागचंद ने विक्रेता नं. 1 का 1/3 हिस्सा व विक्रेता नं. 2 का 1/3 में से 1/2 हिस्सा वादीगण द्वारा क्रय की है। रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जिसको शपत्र पत्रों से साबित किया है प्रतिवादीगण भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से वाद पत्र के खंडन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से वाद वादी जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी वादी स्वीकार किया जाकर मौजा पीण्ड पटवार हल्का पीण्ड तहसील बडीसादडी की आराजी नं. 919 व 921 रकबा 0.66 हैक्ट. भूमि में देवीलाल का नाम ग्राजस्व अभिलेख से हटाकर उसके 1/3 हक हिस्से की भूमि वादीगण के नाम व फुलीबाई के द्वारा अपने 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा विक्रय किया जाने से यानि 1/6 हिस्सा वादीगण के नाम राजस्व खातेदारी [illegible] किये जाने की घोषणा की जाती है। धारा 188 की दाद वादीगण [illegible] ने से खारिज की जाती है। तदअनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।
निर्णय आज दिनांक 21/08/2023 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.09.05 11:23:15 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दूबाला राजावत)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी